SHANTI SAMAJ SEVI SAMITI

2 / 377, Khatrana Street, Farrukhabad-209625 (U.P.)

Phone - 05692-225208, Mobile - 09839592478

Project Approved by National Committee
for Promotion of Social and Economic Welfare

Department of Revenue - Ministry of Finance- Govt. of India
Under Section 35 AC of Income Tax Act 1961.

File No. N C-270/ 743/ 2005

(Murli Dhar Gaur)

संस्था द्वारा प्रस्तावित परियोजना से सम्बन्धित कार्य योजना

1. परियोजना का नाम – बच्चो का टीकाकरण एवं गरीबी की रेखा से नीचे के पीरवार को स्वास्थ्य एवं रोजगार के अवसर , प्रदान कराना।

2. चयनित क्षेत्र – उ0 प्र0 के जनपद फर्रुखाबाद का विकास खण्ड़ राजेपुर प्रथम चरण में चयनित किया गया है।

3. लक्षित वर्ग – गरीबी की रेखा के नीचे का जीवन यापन करने वाले ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोगो के परिवार।

4. चयनित क्षेत्र का विवरण – गंगा एवं रामगंगा के बीच का तराई क्षेत्र है। जो कि आर्थिक रुप से अति पिछडा हुआ है। यहाँ के लोग सामान्य प्रकार की खेती पर निर्भर है जो कि इनकी आवश्यकता के अनुरुप आर्थिक संसाधन जुटाने में सक्षम नहीं हैं।

राजेपुर ब्लाक में स्थित

1. न्याय पंचायतों की संख्या – 13
2. ग्राम पचायतों की संख्या – 72
3. कुल जनसंख्या लगभग – 2,00,000

5. चयनित क्षेत्र में कार्यक्रम संचालित करने का औचित्य – संस्था द्वारा कार्यक्रम के संचालन हेतु चयनित किया गया यह क्षेत्र विकास की दृष्टि से अति पिछड़ा हुआ है। गंगा और राम गंगा नदी के बीच का तराई क्षेत्र होनें के कारण अधिकांशतः बाढ़ आजाने से कृषकों की फसल को नुकसान हो जाता है। इसलिये इनको आर्थिक रुप से सम्बलता प्रदान करनें के लिए क्षेत्रीय उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार कुटीर उधेग स्थपित कराने की भी आवश्यकता हैं इसके अतिरिक्त सामान्य खेती के साथ साथ नई उन्नति किस्म की औषधीय पौधों की खेती की तकनीक प्रदान कर क्षेत्रीय कृषकों को खेती की उपज से अधिक लाभ प्रदान कराया जा सकता है।

सस्था द्वारा इस ब्लाक में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के सहयोग से विगत 4 वर्षो से **(R.C.H.)** प्रजनन एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम का संचालन किया जा चुका है। प्रति वर्ष लगभग 20,000 की आवादी के मध्य कार्य किया गया है। इस प्रकार 4 वर्षों में कुल लगभग 80,000 की आवादी के मध्य कार्य किया गया है (संलग्न स्वीकृति पत्रों एवं फोटोग्राफ की छाया प्रतियाँ पृष्ठ 63 से 89 तक) इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत संस्था द्वारा इसी ब्लाक में कार्यक्रम संचालित किया जा चुका है। (संलग्न पत्र छायाप्रति पृष्ठ 69) सस्था द्वारा जनपद फर्रुखाबाद में आयुर्वेद,यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य मेलो का आयोजन , कृषकों को औषधीय पौधो की खेती का प्रशिक्षण ,ग्रामीण चिकत्सकों का प्रशिक्षण स्कूल के बच्चों का योगा प्रशिक्षण, ग्रामीण गोष्ठियों के आयोजन जैसे कार्यक्रम भारत सरकार के भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के सहयोग से संचालित किये जा चुके है, संलग्न छाया प्रति स्वीकृति पत्र फोटोग्राफ (पृष्ठ 63से 89 तक)

उपरोक्त तत्थ्यों को स्पष्ट कराने से आशय यह है कि संस्था का पूरे ब्लाक मे साधन नेटवर्क स्थापित हैं क्षेत्र के प्रधान ब्लाक प्रमुख गणमान्य व्यक्ति क्षेत्रीय ए.एन.एम. एवं पी.एच.सी. संस्था के सम्पर्क में है। संस्था के पास क्षेत्र के सैकड़ो कार्यकर्ता उपलब्ध है। संस्था का एक क्षेत्रीय कार्यालय भी राजेपुर ब्लाक के ग्राम मोहद्दी पुर मे स्थापित है।

..............02

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अर्न्तगत संचालित की जाने वाली गति विधियों का विवरण

1. बच्चों का टीकाकरण एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करना ।
2. भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी आधारित स्वास्थ्य मेलों का आयोजन।
3. न्याय पंचायत स्तर पर एक भारतीय चिकित्सा पद्धति आधारित औषधालय/स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराना।
4. गरीबी की रेखा से नीचे परिवारों के आर्थिक रुप से विकास हेतु महिलाओं को ज़री इम्ब्राइड्री प्रशिक्षण प्रदान कर हस्तशिल्प ग्रह उधोग स्थापित कराना ।

7. सचांलित की जाने वाली उपरोक्त चारों गतिविधियों में समन्वय स्थापित करते हुये कार्यक्रम सचालित करने का विस्तृत विवरण

सस्था द्वारा प्रथम चरण में उ0प्र0 के जनपद फर्रुखाबाद के ब्लाक –राजेपुर का चयन कार्यक्रम सचांलन हेतु किया गया है। यह विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा क्षेत्र है। संस्था का क्षेत्र में सघन सम्पर्क है।जिसका विस्तृत विवरण उपरोक्त पैरा 05 में किया गया है।

सस्था द्वारा संचालित की जाने वाली उपरोक्त चारो गतिविधियों को स्थायित्व प्रदान कराने तथा प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से निर्धारित किया गया है कि ब्लाक मे स्थित सभी 72 ग्राम पंचायतों में 72 विलेज नेटवर्क बिल्डर (वी.एन.बी.) की नियुक्ति की जायेगी जिसमे महिलाओं को बरीयता प्रदान की जायेगी प्रत्येक वी. एन .बी. की नियुक्ति अपने ही ग्राम पंचायत क्षेत्र से की जायेगी जिससे कि वे सस्था के कार्यक्रमों को अपने क्षेत्र में सहज रीति से संचालित करा सके तथा संस्था द्वारा संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों से अपने क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित कराने एवं उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने की भूमिका निभा सकेगें। प्रत्येक बी.एन.बी को 1000/रु0 प्रति माह मानदयह दिया जायेगा।

ब्लाक राजेपुर में स्थित सभी 13 न्याय पंचायतों में एक न्याय–पंचायत स्तर पर एक को–आर्डिनेटर के अनुसार पूरे ब्लाक में कुल 13 को–आर्डिनेटरों की नियुक्ति की जायेगी। यह को–आर्डिनेटर अपने क्षेत्र के सभी वी.एन.वी. से प्रति दिन सम्पर्क में रहेगें तथा अपने न्याय पंचायत क्षेत्र की प्रगति से लगातार संस्था को अवगत कराते रहेगें। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में आयोजित किये जाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम में अपनी न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के वी.एन.वी. सहित सक्रिय भागीदारी करेगें। को–आर्डिनेटर की नियुति भी उसी न्याय पंचायत से की जायेगी। जहाँ उसे कार्य करना है। योग्य व्यक्ति ना मिलने की स्थिति में राजेपुर ब्लाक के ही किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जायेगी। को–आर्डिनेटर को प्रति माह 5000/रु0 मानदेय प्रदान किया जायेगा। महिला अभ्यार्थी कों वरीयता प्रदान की जायेगी।

पूरे ब्लाक में संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों की योजना का समयबद्व निर्धारण ,क्रियान्वयन एंव अनुश्रृवण, मूल्यांकन की प्रबन्धकीय व्यवस्था सस्था के पदाधिकारी सदस्यों के परामर्श एंव समन्वय के साथ कराने हेतु एक अनुभवी प्रोजेक्ट मैनेजर की नियुक्ति की जायेगी। जो कि संस्था के राजेपुर स्थित परियोजना कार्यालय पर बैठेगा तथा लगातार को–आर्डिनेटर एंव वी.एन.वी. को मार्गदर्शन/ निर्देश प्रदान करता रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर संस्था के जनपद फर्रुखाबाद स्थित मुख्यालय पर बैठ कर कार्यक्रम के क्रियान्वयन की नीति निर्धारित करेगा, सन्दर्भ व्यक्तियो, संस्था सदस्यों के साथ मीटीगें का आयोजन किया जायेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर को 8000/रु0 प्रति माह मानदेय प्रदान किया जायेगा।

8. उपरोक्त चारो गतिविधियों को संचालित करने में सम्पन्न किये जानें वाले क्रियाकलापों का बिन्दुवार विस्तृत विवरण निम्न अनुसार है

(1)बच्चों का टीकाकरण एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी सेवायों प्रदान करना

संस्था द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में नियुक्त की गई वी.एन.वी. का यह दायित्व होगा कि वह अपनी ग्राम पंचायत के नवजात शिशुओं गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करेगी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा की गई ए.एन.एम. के गाँव में आने वाले निश्चित दिन पर स्वयं गाँव में शिशुओं एंव गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करायेंगी। को–आर्डिनेटर द्वारा टीकाकरण के दिन विशेष रुप से अपने क्षेत्र में भ्रमण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई बच्चा या गर्भवती महिला पूर्ण टीकाकरण से बंचित न रह जाये। को–आर्डिनेटर द्वारा साप्तहिक रिपोर्ट प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रस्तुत की जायेगी, जिससे प्रोजेक्ट मैनेजर संस्था के कम्प्यूटर रिकार्ड में फीड़ करेगा।

....................03

बच्चों के सम्पूर्ण टीकाकरण एंव गर्भवती महिलाओं की देखभाल,किशोरियों की देखभाल , यौन जनित रोगों, बच्चों के जन्म में अन्तर रखने के तरीको तथा छोटे परिवार से प्राप्त होने वाले सुखी सम्पन्न जीवन जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा कर जानकारी प्रदान करनें के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में एक वार एक ग्रामीण गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा। इस प्रकार ब्लाक राजेपुर में स्थित कुल 72 ग्राम पंचायतों मे वर्ष भर में 72 गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा एक गोष्ठी पर अनुमानित 10,000/रु0 व्यय होगा।

इसके अतिरिक्त ब्लाक की 13 न्याय पंचायतों में एक वर्ष में 13 न्याय पंचायत स्तारीय गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। उपरोक्त गोष्ठियों में ग्रामीणों के साथ–साथ ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव , क्षेत्रीय ए.एन.एम, ग्रामीण चिकित्सको, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियो की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। इस प्रकार की एक गोष्ठी पर अनुमानतः 25000/–रु0 का व्यय होगा।

वर्ष में एकबार एक ब्लाक स्तरीय गोष्ठी का भी आयोजन किया जायेगा जिसमे प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी, क्षेत्रीय चिकित्सक, ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी,प्रधान, सरंपच तथा अन्य सन्दर्भ व्यक्तियों को अमन्त्रित किया जायेगा। जिसमे बच्चो के टीकाकरण एंव परिवार कल्याण के सम्बन्धित विषय निर्धारित कर उन पर विस्तृत चर्चा की जायेगी। परचे, पम्पलेट, पोस्टरो के माध्यम से एक अभियान का रुप प्रदान किया जायेगा जिसमें ग्राम प्रधानो को सक्रिय भूमिका निभानें के लिये तैयार किया जायेगा।

टीका करण से सम्बधित जो बैक्सीन एंव माला डी, माला एन, आयरन, विटामिन टेबलेट आदि परिवार कल्याण सामिग्री जो बाजार में खुले रुप में उपलब्ध हो सकती है उसे प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र पर उपलब्ध न होने की स्थिति में बाजार से खरीदने की व्यवस्था की जायेगी। तथा स्वस्थ बच्चों, स्वस्थ माँ, नियोजित परिवारों एंव कर्मठ कार्यकर्ताओं सहयोगी प्रधानों क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को पुरुष्कृत भी किया जायेगा। एक वर्ष में एकबार आयोजित की जाने वाली इस गोष्ठी में अनुमानतः 50,000/–रु0 व्यय होगा।

(2) <u>भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, यूनानी, एंव होम्योपैथी चिकित्सा आधारित स्वास्थ्य मेलों का अयोजन</u>

विकास खण्ड राजेपुर में स्थित सभी 13 न्याय पंचायतों में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जायेगा। इस प्रकार पूरे ब्लाक में कुल 13 स्वास्थ्य मेलो का आयोजन किया जायेगा। प्रत्येक स्वास्थ्य मेले की अवधि कम से कम दो दिन होगी।

मेले में आने वाले ग्रामीण रोगियों का निःशुल्क उपचार आयुर्वेद ,यूनानी एंव होम्यापैथी पद्धति से किया जायेगा। इसके लिये औषधियों की व्यवस्था संस्था द्वारा की जायेगी तथा आयुर्वेद , यूनानी होम्योपैथी के अनुभवी चिकित्सकों की उपस्थिति भी संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी । आयोजित किये जाने वाले मेलों को सभी वी.एन.वी. को–आर्डिनेटर तथा प्रोजेक्ट मैनेजर की भागीदारी से प्रचार प्रसार एंव जन सम्पर्क द्वारा विस्तृत रुप प्रदान किया जायेगा।

मेलों में आयुर्वेद,यूनानी,होम्योपैथी सम्मेलनों का भी आयोजन किया जायेगा जिसमे क्षेत्रीय आयुर्वेद,यूनानी अधिकारी, जिला होम्योपैथी अधिकारी आयुर्वेद एंव होम्योपैथी चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्साधिकारियों एंव क्षेत्र के प्रमुख बैधो, औषधि निर्माताओं तथा औषधीय पौधे की खेती के मर्मज्ञ कृषि विश्व विधालयों के शोध कर्ताओ को भी आमन्त्रित किया जायेगा। जिस न्याय पंचायत में मेले का आयोजन किया जायेगा वहाँ के ग्रामीण कृषकों को विशेष रुप से सम्मलित किया जायेगा तथा क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती के लिये विशेष रुप से चर्चा करनें के सत्र आयोजित किये जायेगे। जिससे कि किसान क्षेत्र की भूमि उपयुक्तता के अनुसार औषधीय पौधों की खेती प्रारम्भ करके अधिक लाभ आर्जित कर सके।

मेलों में स्वास्थ्य प्रदर्शनी औषधीय पौधों की खेती से सम्बन्धित साहित्य एंव औषधीय जड़ी बूटियों का प्रदर्शन भी उपलब्ध कराया जायेगा। मेलों में ग्राम स्वच्छता गृह स्वच्छता आहार विहार, रहन सहन, स्वच्छ पर्यावरण की जानकारी ग्रामीणों को प्रदान की जायेगी तथा धूम्रपान,मधपान,नशीली चीजो के सेवन से मुक्ति हेतु भी प्ररणा प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त परिवार कल्याण, छोटा परिवार रखनें के उपाय तथा छोटे परिवार से जीपन में प्राप्त होनें वाली सुख शान्ति से सभी को अवगत करानें के लिये विशेष ग्रामीण महिलाओं के साथ चर्चा सत्रों का आयोजन किया जायेगा जिसमे क्षेत्रीय ए.एन.एम. प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र तथा मुख्य चिकित्साधिकारी को आमन्त्रित किया जायेगा।

..............04

मेलों में क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवियो, क्षेत्रीय प्रतिनिधि ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों, एम.एल. ए. , एम.पी. , एम.एल.सी. स्वतन्त्रता सेनानियों क्षेत्रीय लोकगीत संगीत गायकों को भी अमन्त्रित किया जायेगा। तथा क्षेत्र के स्वस्थ बच्चो, स्वस्थ माँ ,नियोजित परिवारो एंव कुशल कृषकों को पुरुष्कृत किया जायेगा। संस्था द्वारा पूर्व में इस प्रकार के मेलों का आयोजन किया जा चुका है। जिसमें आयुर्वेद यूनानी एंव होम्योंपैथी विभाग के अधिकारी स्वयं उपस्थित हुये तथा अपनें चिकित्सकों एंव स्टाफ की ड्यूटी लगाकर सहभागिता प्रदान की गई (संलग्न छाया प्रति पृष्ठ 73 से 74 तक)

इसके अतिरिक्त संयुक्त निदेशक यूनानी भारत सरकार पूर्व निदेशक आयुर्वेद आदि विशिष्ट व्यक्ति भी विशेष रुप से उपस्थित हुऐ और कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपने शुभ विचार व्यक्त किये (संलग्न पृष्ठ 73 से 74 तक)

उपरोक्त गतिधियो के संचालन सहित एक स्वास्थ्य मेले पर अनुमानित दो लाख रुपये व्यय होगा।

(3) न्याय पंचायत स्तर पर एक भारतीय चिकित्सा पद्धति आधरित औषधालय स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना–

प्रस्ताव के अन्तर्गत संस्था द्वारा निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक न्याय–पंचायत स्तर पर एक आयुर्वेद,यूनानी एंव होम्योपैथी चिकित्सा आधारित एक औषधालय केन्द्र की स्थापना की जायेगी जहाँ गरीब ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयाँ दी जायेगी। इस प्रकार ब्लाक राजेपुर की 13 न्याय पंचायतों में कुल 13 औषधालय/स्वः खोले जायेगे। औषधालय हेतु न्याय पंचायत स्तर पर 1000/–रु0 प्रति माह का एक भवन किराये पर लिया जायेगा तथा एक औषधालय में 4000/–रु0 प्रति माह मानदेय का पार्टटाइम आयुर्वेद चिकित्सक तथा 3000/–रु0 प्रतिमाह मानदेय का एक पार्टटाइम होम्योपैथी चिकित्सक एंव 2000/–रु0 प्रति माह मानदेय का एक फुलटाइम कम्पाउण्डर कम सफाई कर्मचारी नियुक्त किया लायेगा। अनुमानतः एक माह में एक औषधालय में उच्च गुणवत्ता की आयुर्वेद एंव होम्योपैथी दवाओं का खर्चा 10,000/– रु0 होगा। इस प्रकार एक औषधालय पर अनुमानित मासिक व्यय 20,000/–रु0 होगा।

न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित किया जानें वाला औषधालय/ स्वास्थ्य केन्द्र ही न्याय पंचायत स्तर पर नियुक्त किये गये को–आर्डिनेटर का कार्यालय भी होगा वह अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की वी,एन,वी, की साप्ताहिक बैठक इस कार्यालय /औषधालय /स्वास्थ्य केन्द्र पर करेगा। तथा टीकाकरण से छूटे हुये बच्चों, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु किसी विशेष दिन क्षेत्रीय ए,एन,एम, को स्वास्थ्य केन्द्र पर आने का कार्यक्रम सुनिशचित करेगा । को–आर्डिनेटर द्वारा अपने न्याय पंचायत क्षेत्र की रिर्पाट प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रस्तुत की जायेगी। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा को–आर्डिनेटर से प्राप्त रिपोर्ट का भौतिक सत्यापन करने के उतरान्त संकलित मासिक रिपोर्ट संस्था के मुख्यालय में प्रस्तुत कर कम्प्यूटर में फीड की जायेगी।

(4) गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के आर्थिक रुप से विकास हेतु महिलाओं को जरी इम्ब्राइड्री प्रशिक्षण प्रदान कर हस्तशिल्प ग्रह उधोग स्थापित कराना।

गरीबी की रेखा से नीचे परिवारों को आर्थिक रुप से सुदृण बनाने के लिये यह उचित होगा, कि परिवार के महिला और पुरुष दोनों के लिये ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायें। कोई परिवार सुखी परिवारम तभी कहा जा सकता है जब परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ्य हों और सभी को दैनिक जीवन की सभी सुविधायें उपलब्ध हों। परियोजना प्रस्ताव के अन्तर्गत उपरोक्त क्रियाकलापों के माध्यम से गरीब ग्रामीणों को परिवार कल्याण एंव आयोग्यता प्रदान करने की योजना का विस्तृत वर्णन किया है तथा खेती की उपज से अधिक लाभ अर्जित कराने के उद्देश्य से औषधीय पैधों की खेती की जानकारी का भी प्रावधान किया गया है। आर्थिक रुप से सम्बल प्रदान करानें के उद्देश्य से संस्था द्वारा महिलाओं को जरी इम्ब्राबड्री का प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना निर्धारित की गई है। जनपद फर्रुखाबाद में जरी इम्ब्राइड्री का कार्य बहुत बडे स्तर पर है। यहाँ पर महिलाओं के लिये पहननें वाले जरी के वस्त्र तथा इन्डोर डेकोरेशन के एन्टीक पूरे देश में बिक्री किये जाते है। तथा बहुत अधिक मात्रा में विदेशों में निर्यात भी किये जाते है। यहाँ पर जरी वस्त्रों के बड़े –बड़े निर्यातक भी मौजूद है जिनके विदेशों में अपने शो–रुम भी है। अतः जरी इम्ब्राइड्री का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त बड़ी ही आसानी से घर में बैठे ही रोजगार प्राप्त किया जा सकता है।

...............05

है।दूसरों का कार्य करके जाब वर्क द्वारा तथा अपना स्वयं का माल तैयार करके विक्रय करने से प्रतिदिन एक व्यक्ति द्वारा 100 से 200 रू० तक लाभ अर्जित किया जा सकता है। इसके उत्पादन में किसी भी मशीन का प्रयोग नही होता पूरी तरह हस्त शिल्प का कार्य है। 4000/- रू० मूल्य के केवल एक 6X12 वर्ग फिट के स्टील पाइप के फ्रेम/लूम पर कपड़े को लगाकर एक साथ 6 महिलायें बैठकर कार्य कर सकती है। मात्र छः के प्रशिक्षण में पूर्ण दक्षता प्राप्त की जा सकती है।

संस्था द्वारा योजना अन्तर्गत निर्धारित किया गया है। कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर की १३ न्याय पंचायतों में 13 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कियें जायेगें एक केन्द्र पर छः माह के एक प्रशिक्षण सत्र हेतु गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की 30 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा इस प्रकार एक केन्द्र पर एक वर्ष 6-6 माह के दो सत्रों को संचालित कर कुल 60 महिलाओं को प्रशिक्षित कर दिया जायेगा। कुल 13 प्रशिक्षण केन्द्रों पर एक वर्ष में 780 महिलाओं को प्रशिक्षित कर दिया जायेगा। उपकरण के रूप में एक केन्द्र पर 6X12 वर्गफिट के 5 स्टील फ्रेम/लूम तथा बैठनें के लिये दरी एंव इस्ट्रक्टर हेतु टेबिल एंव पानी पीने हेतु बाल्टी जग, ग्लास आदि की आश्यकता होगी। प्रशिक्षण प्रदान करनें हेतु केन्द्र पर कर इन्सट्रक्टर की नियुक्ति की जायेगी इस प्रकार कुल 13 प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु 13 इन्सट्रक्टरों की नियुक्ति की जायेगी। एक इन्सट्रक्टर को 4000/- रू० प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा। प्रशिक्षण केन्द्र हेतु न्याय पंचायत स्तर पर ही 1500/- रू० प्रतिमाह किराये का एक भवन लिया जायेगा जहॉं आस पास के गॉंवों की महिलाओं आसानी से आ जा सकेतगीम प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपरोक्त क्रिया कलापों हेतु चयनित किये गये क्षेत्र में मौजूद वी.एन.बी. को-आर्डिनेटर तथा प्रोजेक्ट मैनेजर भी सहयोग प्रदान करेगों एंव निगरानी रखेने। प्रशिक्षण प्राप्त करनें हेतु आनें वाली महिलाओं एंव उनके साथ आनें वालें बच्चों को पुष्ठा हार भी वितरित किया जायेगा। तथा प्रशिक्षण में प्रयुक्त कच्चा माल भी ट्रेनीज को प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण के उपरान्त स्टील फ्रेल/लूम तथा एक-एक किट में मैटेरियल भी महिलाओं को निःशुल्क प्रदान कर दिया जायेगा जिससे वे सभी तुरन्त अपना कार्य कर सके।

इस प्रकार प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित चारों गतिविधियों को समन्वय स्थापित करते हुये संचालित करके एक विशेष चयनित क्षेत्र के गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को परिवार कल्याण,जागरूकता,स्वास्थ्य एंव आर्थिक उन्नति का सम्बल प्रदान किया जायेगा।

जनपद फर्रुखाबाद में कुल सात न्याय पंचायेत स्थापित है। जिनका विवरण प्रस्ताव के प्रष्ठ३२ से३३ तक संलग्न किया जा रहा है। संस्था द्वारा सम्पूर्ण जनपद को लाभान्वित किये जानें का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

(मुरलीधर गौड़)

सचिव
शान्ती समाज सेवी समिति
2/377 खतराना,फर्रुखाबाद

प्रस्तावित परियोजना का बजट - अनुमानित व्यय विवरण

(1) बच्चों का टीकाकरण एंव परिवार कल्याण सम्बन्धी सेवाओं पर व्यय

1.	13 को-आर्डिनेटरों का मानदेय एक वर्ष हेतु 5000 / — रू० प्रति को-आर्डिनेटर प्रति माह से 13 X 5000 X 12	7,80,000 00
2.	72 विलेज नेटवर्क विल्डर्स (वी.एन.बी) का मानदेय एक वर्ष हेतु 1000 / — रू० प्रति वी.एन.बी. प्रति माह से 72 X 1000 X 12	8,64,000=00
3.	01 प्रोजेक्ट मैनेजर का मानदेय एक वर्ष हेतु 8000 / — रू० प्रति माह से 8000 X १२	96,000 00
4.	72 ग्राम पंचायतों में एक वर्ष में 72 ग्राम गोष्ठियों पर व्यय 10,000 / — रू० प्रति गोष्ठी से व्यय 72 X 10,000	7,20,000=00
5.	13 न्याय पंचायतों में एक वर्ष में 13 गोष्ठियों पर व्यय 25000 / — रू० प्रति गोष्ठी से व्यय 13 X 25000	3,25,000=00
6.	एक वर्ष में ब्लाक लेविल की एक मीटिंग पर व्यय	50,000=00
7.	अन्य आकस्मिक,यात्रा,व्यय,विटामिन ,आयरन फोलिक,आदि आवश्यक दवाईयों पर व्यय	1,15,000=00
	कुल व्यय रू०	29,50,000=00

(2) भारतीय चिकित्सा पद्वति आयुर्वेद,यूनानी,एंव होम्योपैथी चिकित्सा आधारित स्वास्थ्य मेलों के आयोजन पर व्यय

1.	13 न्याय पंचायतो में एक वर्ष में 13 स्वास्थ्य मेलों के - रू० आयोजन पर 200,000 / — रू० प्रति मेले से कुल व्यय 13 X 200,000	26,00,000=00

(3) एक न्याय पंचायत स्तर पर एक भारतीय चिकित्सा पद्वति,आयुर्वेद यूनानी एंव होम्योपैथी आधारित औषधालय/स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने पर व्यय

1.	13 न्याय पंचायतों में 13 पार्टटाइम आयुर्वेद चिकित्सकों का 4000 / — रू० प्रति माह से एक वर्ष का मानदेय 13 X 4000 X 12	6,24,000 00
2.	13 न्याय पंचायतो में 13 पार्टटाइम होम्योपैथी चिकित्सकों का 3000 / — रू० प्रतिमाह से एक वर्ष का मानदेय 13 X 3000 X 12	4,68,000=00
3.	13 न्याय पंचायतों में 13 फुल टाइम कम्पाउण्डरों का 2000 / — रू० प्रतिमाह	3,12,000=00

से एक वर्ष का मानदेय - 13 X 2000 X 12

4.	13 न्याय पंचायतों में 13 औषधालय/स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 1000 / –रू० प्रतिमाह प्रति भवन किराया से एक हेतु किराया 13 X 1000 X 12	-	1,56,000=00
5.	एक औषधालय/स्वास्थ्य केन्द्र पर 10,000 / – रू० प्रतिमाह की दवाईयों की खपत के औसत से 13 स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु एक वर्ष में खपत होने वाली दवाईयों की कीमत 13 X 10,000 X 12	-	15,60,000=00
	कुल व्यय	-	31,20,000=00

(4) गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के आर्थिक रूप से विकास हेतु महिलाओं को जरी इम्ब्राइडरी प्रशिक्षण प्रदान कर हस्त शिल्प ग्रह ग्रधोग स्थापित कराने पर व्यय

1.	6 महिलाओं हेतु एक स्टील फ्रेम/लूम के औसत से 780 महिलाओं हेतु 6 X 12 वर्ग फिट के 130 फ्रेमो/लूमो की कीमत 4000 / – रू० प्रति लूम की दर से 130 X 4000	-	5,20,000=00
2.	1500 / – रू० प्रतिमाह प्रतिभवन किराये के औसत से 13 न्याय पंचायतों में 13 प्रशिक्षण केन्द्र भवनो का एक वर्ष का किराया 13 X 1500 X 12	-	2,34,000=00
3.	एक केन्द्र पर एक इन्सट्रक्टर के औसत से 13 न्याय पंचायतों में 13 प्रशिक्षण केन्द्रों पर 13 इन्सट्रक्टरों का 4000 / – रू० प्रतिमाह से एक वर्ष का मानदेय - 13 X 4000 X 12	-	6,24,000=00
4.	कुल 6 माह के प्रशिक्षण में चार माह हेतु 300 / – रू० प्रति ट्रेनीज प्रतिमाह के औसत से कुल 780 ट्रेजीन महिलाओं को प्रदान किये जानें वाले कच्चे माल की कीमत 780 X 300 X 4	-	9,36,000=00
5.	सभी 780 ट्रेनीज महिलाओं,उनके साथ आनें वाले बच्चों को 3 / – प्रतिदिन के औसत से एक वर्ष में अनुमानित ३०० कार्य दिवसों में पुष्टाहार वितरण पर व्यय 780 X 3 X 300	-	7,02,000=00
6.	सभी 780 ट्रेनीज को दी जानें वाली ट्रेनिंग किट का 200 / – रू० प्रति किट की दर से 780 किट पर व्यय - 780 X 200	-	1,56,000=00
7.	13 न्याय पंचायतों में संचालित किये जानें वाले सभी 13 प्रशिक्षण केन्द्रों पर दरी,फर्नीचर,वाल्टी,गिलास,आदि पर व्यय	-	28,000=00
	कुल व्यय रू०	-	32,00,000=00

एक वर्ष हेतु का कुल व्यय (1) + (2) + (3) + (4)
=29,50,000/- + 26,00,000/- + 31,20,000/- + 32,00,000/-
= रू0 1,18,70,000/- (एक करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार रूपये मात्र)

<u>जनपद फर्रूखाबाद में कुल 07 ब्लॉक स्थापित है। अतः सभी सात ब्लॉको में कार्यक्रम संचालित करने पर एक वर्ष का अनुमानित व्यय :-</u>
7 X 1,18,70,000/- = रू0 8,30,90,000/- (आठ करोड़ तीस लाख नब्बे हजार रूपये मात्र)

<u>तीन वर्ष तक कार्यक्रम संचालित करने का कुल व्यय :-</u>

8,30,90,000/- X 3 = रू0 24, 92, 70, 000 /-
अथवा रू0 25,0000,000/- (पच्चीस करोड़ रूपये मात्र)

(मुरलीधर गौड़)

सचिव
[illegible] समाज सेवी समिति
2/377 कतराना, फर्रुखाबाद